

मार्च 14, 2022

भारत में कॉर्पोरेट कर्मचारी परिवहन प्लैटफॉर्म का पर्यावरणीय और सामाजिक आंकलन

प्रकटन हेतु संक्षिप्त

विषय-सूची

विषय प्रवेश	3
परियोजना का संक्षिप्त विवरण	3
दृष्टिकोण और कार्यपद्धति	4
सीमाएँ	5
पर्यावरणीय एवं सामाजिक सन्दर्भ का ढाँचा	5
परियोजना का वर्गीकरण	9
पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना	10

तालिका-सूची

तालिका 1 : अपनाई गई कार्यपद्धति	4
तालिका 2 : पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर प्रयोज्य भर्ती कानून	5
तालिका 3 : आइएफसी प्रदर्शन मानक, आइएफसी/डब्ल्यूबी के सामान्य ईएचएस दिशानिर्देश एवं ईएससीपीएल ईएसजीएमएस	6
तालिका 4 : परियोजना का वर्गीकरण	9
तालिका 5 : पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य योजना	11

विषय प्रवेश

एवरसोर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (ईएससीपीएल) ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फण्ड ('जीजीईएफ' या 'फण्ड') का निवेश प्रबंधक है। ईएससीपीएल ने एक कॉर्पोरेट कर्मचारी परिवहन (सीईटी) व्यावसायिक समूह, जिसका नाम लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('लिथियम' या 'टारगेट') है, के संभावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपने फण्ड के माध्यम से एक पर्यावरणीय और सामाजिक आंकलन (एनवायरनमेंटल ऐंड सोशल ड्यू डिलिजेंस यानी ईएसडीडी) आरम्भ किया है। यह ईएसडीडी आंकलन पर्यावरणीय और सामाजिक सन्दर्भ ढाँचे के प्रति गैर-पालन का निर्धारण करते हुए अधिग्रहण से सम्बंधित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को चिन्हित करने के लिए आरम्भ किया गया है¹। ईएसडीडी के नतीजे में एक पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना यानी एनवायरनमेंटल ऐंड सोशल ऐक्शन प्लान (ईएसएपी) सामने आया है जिसमें बंदी के लिए चिन्हित तमाम कमियों, जिम्मेदारी और समयसीमा को समाप्त करने की अनुशंसाएँ की गई हैं।

सम्यक आंकलन का यह संक्षिप्त संस्करण ग्रीन क्लाइमेट फण्ड (जीसीएफ) इनफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पॉलिसी (आईडीपी) यानी हरित जलवायु निधि सूचना प्रकटीकरण नीति में यथा-परिभाषित सार्वजनिक प्रकटीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। लक्षित कंपनी (लिथियम) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- **गतिविधियों का उद्देश्य, स्वरूप और व्यापकता :** लिथियम 50+ बड़े ग्राहकों को सीईटी समाधान प्रदान करने के लिए आद्योपांत क्षमता के साथ एकमात्र इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदाता है। 700+ वाहनों के बेड़े के साथ लिथियम दुनिया में चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े बेड़े के स्वामियों में से एक है। यह कंपनी बंगलुरु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मणिपाल, कोलकाता और मुंबई, इन 8 शहरों से परिचालन करती है।
- **अपेक्षित लाभार्थी :** लिथियम ग्राहकों को दिन-प्रतिदिन के परिचालनों के लिए मौजूदा आंतरिक कम्बशन इंजनों को इलेक्ट्रिक फ्लीट्स से बदल कर उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करती है। परिणामस्वरूप, लिथियम की गतिविधियों से सम्पूर्ण भारत में बड़े महानगरों में वाहन से उत्सर्जन में कमी की माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खतरों में कमी आती है, जिसका सीधा लाभ और इस प्रकार इसका सीधा लाभ "आम जनता" को मिलता है।
- **प्रस्तावित गतिविधियों की अवधि :** लिथियम एक सेवा-अभिमुख उद्योग है और इस प्रकार इसके परिचालन की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है। लिथियम के वाहन बेड़े (व्हीकल फ्लीट) को त्रिवर्षीय आधार पर बदल दिया जाता है ताकि नए-नए मॉडल अपनाए जा सकें।
- **हितधारक परामर्श और नियोजित हितधारक सहभागिता प्रक्रिया का सारांश :** आंकलन प्रक्रिया के तहत बंगलुरु कार्यालय में लिथियम साईट के कर्मचारियों से परामर्श, ड्राइवरों और इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन में लगे कर्मचारियों के प्रतिदर्श समूह के साथ परामर्श किया गया। परामर्श का फोकस इन पक्षों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने और राष्ट्रीय श्रम विनियमों के सम्बन्ध में लिथियम के अनुपालन के मूल्यांकन पर था। आंकलन के तहत लिथियम से कंपनियों की गतिविधियों में प्रमुख हितधारकों की निरंतर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के प्रतिनिधियों, ड्राइवरों और सम्बंधित प्राधिकारियों सहित सभी हितधारकों को चिन्हित करके एक हितधारक सहभागिता योजना तैयार करने की अपेक्षा की गई है।
- **शिकायत प्रक्रिया :** लिथियम की शिकायत प्रक्रिया तीन हितधारक समूहों - (i) ग्राहक, (ii) ड्राइवर , और (iii) सर्वसाधारण समुदाय पर केन्द्रित है। ग्राहक, हितधारक समूह के रूप में कंपनी की आंतरिक

¹ Applicable national, state and local regulations, IFC Performance Standards (2012) and IFC/World Bank Group Environmental Health and Safety (EHS) General Guidelines.

तकनीकी पोर्टल के माध्यम से लिथियम की सेल्स टीम के पास शिकायत कर सकते हैं। ड्राइवरों के साथ पाक्षिक आधार पर महीने में दो बार परामर्श किया जाता है और वे सीधे लिथियम की ड्राइवर संवाद टीम के पास शिकायत कर सकते हैं। सर्वसाधारण समुदाय लिथियम के पास sales@project-lithium.com पर कॉन्टैक्ट अस² (हमसे संपर्क करें) पेज के माध्यम से या बेंगलुरु, इंडिया में उनके कार्यालय के डाक पते पर शिकायत कर सकते हैं। लिथियम के सभी वाहनों पर इसका ब्रांड नाम लगा होता है और इसलिए फ्लीट के आवाजाही से सम्बंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों को लिथियम के कार्यालय पते और शिकायत ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है। आंकलन के तहत लिथियम से सर्वसाधारण समुदाय हितधारक समूह के लिए शिकायत के रिकार्ड्स और वृद्धि प्रक्रिया और एक समर्पित शिकायत हैंडल (ईमेल) का निर्माण करते हुए शिकायत प्रक्रिया को मजबूत करने की अपेक्षा की जाती रही है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सम्बंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारी परिवहन प्रबंधन सेवाओं का पूरी तरह उत्सर्जन रहित परिवहन सेवा प्रदाता है। कंपनी ने बेंगलुरु में जुलाई 2015 में परिचालन आरम्भ किया था और आज इसका परिचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, कोलकाता, मणिपाल;- हैदराबाद और चेन्नई तक फैल चुका है। लिथियम शहरी परिवहन के लिए टेक्नोलॉजी एवं ईवी के माध्यम से न्यूनतम ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति समाधान प्रदान करता है। यह एक प्रौद्योगिकी-संचालित फ्लीट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसके द्वारा यात्रा (ट्रिप) की समय-सारणी और मार्ग-निर्धारण को इष्टतम करने के लिए एक अल्लोरिद्विक परिवहन मार्ग-निर्धारण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में अंतस्थापित टेलीमैटिक्स और क्लाउड कनेक्टिविटी लगी है जिससे उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता, ड्राइविंग पैटर्न, चार्जिंग की ज़रूरतों और चार्जर की उपलब्धता की लगातार 24x7 निगरानी होती है।

लिथियम दो प्रकार के व्यावसायिक मॉडलों के तहत परिचालन करती है :

- **कॉर्पोरेट कर्मचारी परिवहन** : लिथियम सात राज्यों में 702+ वाहनों³ के बेड़े का परिचालन करता है और संभावित ग्राहकों को प्रशिक्षित ड्राइवरों से जोड़ता है जो वाहनों को ऑपरेट कर सकते हैं। तीन प्रकार की सीईटी सेवाएँ दी जाती हैं :
 - ग्राहकों के लिए दैनिक आवाजाही की ज़रूरतों के लिए संविदा के आधार पर समर्पित वाहनों की व्यवस्था
 - ग्राहकों के लिए शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रति घंटा या प्रति दिन की दर पर स्पॉट रेंटल की व्यवस्था
 - अंतरा- और अंतर-शहरी यात्रा के लिए अग्रिम बुकिंग के आधार पर ग्राहकों के लिए यात्रा आधारित वाहनों की व्यवस्था।
- **चार्जिंग केंद्र** : लिथियम ने सम्पूर्ण देश में और मुख्य हाईवेज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधाओं के निर्माण और संचालन के लिए फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड (एफपीईएल) के साथ दिसम्बर 2019 में एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया, जिसका नाम शुचि अनंत वीर्य प्राइवेट लिमिटेड है। शुचि अनंत वीर्य प्राइवेट लिमिटेड ने सम्यक आंकलन के समय बेंगलुरु और एनसीआर में काम करना आरम्भ कर दिया था और पुणे एवं कोलकाता में इसके संयंत्र प्रस्तावित थे।

² <https://project-lithium.com/contact-us/>

³ As of March 31, 2022

सांगठनिक ढाँचा

लिथियम का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु, भारत में है और अन्य शहरों में परिचालन के लिए छोटी-छोटी टीमों हैं। परिचालन के प्रत्येक शहरों में एक परिचालन प्रमुख कार्यों की देखभाल करते हैं और उनके सहयोग के लिए एक शहर-स्तरीय एचआर, प्रत्येक चार्जिंग केंद्र के लिए साईट मैनेजर और मेंटेनेंस लीड होते हैं। परिचालन बढ़ाने के लिए प्रत्येक शहर के लिए ज़रूरत के अनुसार जूनियर स्तर के कर्मचारियों को बहाल किया जाता है। प्रत्येक शहर में एक भर्ती अधिकारी (इंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव) होता है जो ड्राइवरों को प्रशिक्षण और सहयोग देने के लिए जिम्मेदार है।

ड्राइवर

लिथियम ने मास्टर सर्विस अग्रीमेंट (एमएसए) के माध्यम से 512 ड्राइवरों⁴ के साथ करार किया है। ये ड्राइवर सीईटी मॉडल अंतर्गत लिथियम के मौजूदा वाहन बेड़े को ड्राइव करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक ड्राइवर एमएसए में चिन्हित अनुबंध अनुच्छेद पर अलग-अलग साइन अप करता है और उनकी सेवा अवधि मुख्यतः दस्तावेज द्वारा शासित होती है।

वाहनों का बेड़ा

लिथियम के 702 वाहनों को वितरक कंपनियों से 3 से 5 वर्षों के लीज मॉडल पर पट्टे पर लिए गए हैं। लीज अनुबंध के बायबैक अनुच्छेद के अंतर्गत वाहनों में किसी पार्ट-पुर्जे के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत और बदली की जिम्मेदारी वितरक कंपनी की है। तीन (03) वाहन अनुसंधान और परीक्षण के उद्देश्य के लिए लिथियम के स्वामित्व में हैं लेकिन ये वाहन लिथियम के डिपो में रखे गए हैं और इनका इस्तेमाल सीईटी सेवाओं के लिए नहीं किया जाता है।

उद्देश्य और कार्यपद्धति

ईएंडएस जोखिम आंकलन का उद्देश्य अधिग्रहण से जुड़े संभावित ईएंडएस (पर्यावरणीय एवं सामाजिक) जोखिमों और प्रभावों को उजागर करना और ईएंडएस सन्दर्भ ढाँचे के सम्बन्ध में किसी अंतर का निर्धारण करना है।

ईएसडीडी का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :

- टारगेट के कॉर्पोरेट पर्यावरणीय और सामाजिक (ईएंडएस) प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा
- निम्नलिखित पर विशेष जोर देते हुए प्रयोज्य सन्दर्भ ढाँचे के विरुद्ध टारगेट के ईएंडएस परफॉरमेंस का अंतर आंकलन :
 - फ्लीट और ड्राइवर प्रबंधन
 - कार्यशील परिस्थितियाँ और शिकायत निवारण
 - सड़क सुरक्षा और आपातकालीन तत्परता
 - वेंडर और आपूर्तिकर्ता प्रबंधन
 - कचरा प्रबंधन
- ईएसडीडी रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें प्रमुख निष्कर्षों, महत्वपूर्ण समस्याओं, आवश्यक राहत का उल्लेख और ईएसएपी के रूप में अतिरिक्त कारवाइयों की अनुशंसा होनी चाहिए।

अपनाई गई कार्यपद्धति तालिका 1 में दी गई है

तालिका 1 : अपनाई गई कार्यपद्धति

⁴ As of March 31, 2022

तारीख	गतिविधि
05 अक्टूबर, 2021	<ul style="list-style-type: none"> ईएसडीडी प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए एवरसोर्स कैपिटल और तृतीय पक्ष परामर्शदाता के बीच बातचीत; पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) नीति, मानव संसाधन (एचआर) नीति, ड्राइवर प्रबंधन सहित प्रमुख प्रलेखनों; और प्रक्रियाओं, चार्जिंग केन्द्रों की रूपरेखा मानचित्रण तथा मुख्य परमिट और लाइसेंसों की आरम्भिक समीक्षा।
11 अक्टूबर, 2021	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य परिचालनों पर लिथियम कर्मियों के साथ चर्चा; ड्राइवरों, एचआर, परिचालन टीम सहित आंतरिक हितधारकों के साथ चर्चा; और एनसीआर में नोएडा और गुडगाँव में ईवी चार्जिंग केन्द्रों का दौरा।
20 अक्टूबर, 2021 – 22 अक्टूबर, 2021	<ul style="list-style-type: none"> बेंगलुरु प्रधान कार्यालय में लिथियम के वरीय प्रबंधन के साथ चर्चा; और बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग केन्द्रों का भ्रमण।
03 दिसम्बर, 2021	प्रारूप ईएसडीडी रिपोर्ट जमा करना।
14 मार्च, 2022	अनेक दौर की चर्चा और टिप्पणियों के समापन के बाद अंतिम ईएसडीडी रिपोर्ट जमा करना।

सीमाएँ

यह पर्यावरणीय और सामाजिक आंकलन (ईएसडीडी) अधिग्रहण के लिए जोखिम एवं प्रभाव पहचान टूल के रूप में पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन (ईएसआईए) के बदले में किया गया है। ईएसआईए की तुलना में अधिग्रहण के साथ निम्नलिखित सीमाएँ चिन्हित की गई हैं :

- लिथियम के परिचालन का किसी विनिर्दिष्ट समुदाय (आईएफसी पीएस 1 में “प्रभावित समुदायों” के रूप में निर्धारित) पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। इस प्रकार, प्रभावित समुदायों को परियोजना की सम्बंधित जानकारी भौतिक रूप से बताने के लिए आईएफसी पीएस1 की अपेक्षाओं को इस परियोजना के लिए प्रयोज्य नहीं माना गया है। भौतिक प्रकटीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लिथियम संक्षिप्त आंकलन (यह दस्तावेज) का लिंक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी और ग्राहकों के लिए इस दस्तावेज के साथ अपने प्रत्येक कार्यालय पर लिंक के साथ चिन्ह और शिकायत हैंडल मुहैया करेगी।
- लिथियम शहरी क्षेत्र की सीमा में परिचालन करती है और इस प्रकार इसके परिचालनों से प्रभाव (जैसे कि, ट्रैफिक और वाहन-उत्सर्जन में वृद्धि) आधाररेखा परिस्थितियों (यानी, शहरी सीमा में यातायात सुरक्षा और परिवेशीय वायु की गुणवत्ता) पर नगण्य वृद्धिशील प्रभाव होगा। लिथियम के व्यावसायिक परिचालनों के लिए आईएफसी पीएस1 में यथा निर्धारित संचयी प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म होगा।
- कंपनी के अखिल-भारतीय परिचालनों और लिथियम के परिचालन की शहरी सीमाओं के भीतर पहले से प्रभावित पर्यावरणीय और सामाजिक अभिग्राहकों (रिसेप्टर) को देखते हुए, लिथियम के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आधाररेखा तैयार नहीं की जा सकती।
- लिथियम के अखिल-भारतीय परिचालन के कारण ईएसडीडी अध्ययन के लिए प्रभाव का परियोजना क्षेत्र और/या अध्ययन क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। कंपनी 8 शहरों, यथा बेंगलुरु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मणिपाल, कोलकाता और मुंबई में परिचालन करती है। सम्यक समीक्षा (आंकलन) में परिचालन से सम्बंधित देशव्यापी जोखिमों का मूल्यांकन किया

गया है और यह पर्यावरणीय, सामाजिक और/या पारिस्थितिकीय अभिग्राहकों एवं संसाधनों पर किसी संभावित प्रभाव को रोकने के लिए जोखिम नियंत्रकों को मजबूत करने पर केन्द्रित है।

पर्यावरणीय और सामाजिक (ईऍंडऍस) सन्दर्भ ढाँचा

कार्य के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक (ईऍंडऍस) सन्दर्भ ढाँचा निम्नलिखित है :

- पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर प्रयोज्य भारतीय कानून (राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय);
- आईएफसी कार्यप्रदर्शन मानक;
- आईएफसी/विश्व बैंक सामान्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचऍस) दिशानिर्देश; और
- एवरसोर्स कैपिटल पर्यावरणीय, सामाजिक एवं संचालन प्रबंधन प्रणालियाँ।

सम्यक समीक्षा (आंकलन) के लिए कार्यक्षेत्र के तहत लिथियम के परिचालनों की उपर्युक्त ईऍंडऍस सन्दर्भ ढाँचे के सम्बन्ध में समीक्षा की गई है। प्रयोज्य भारतीय कानूनों के संबंध में समीक्षा का सारांश तालिका 2 में दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के सम्बन्ध में समीक्षा को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 में विनियम का नाम, लिथियम के परिचालनों के प्रति प्रयोज्यता और सम्बंधित परमिट या लाइसेंस की स्थिति दी गई है।

मान्य राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय विनियमन

तालिका 2: पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर लागू भारतीय कानून

क्रम संख्या	नियमन	मान्यता	स्थिति
1.	पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 और संशोधन के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के सौंपे गए प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी।	लागू नहीं लिथियम अपने किसी भी संयंत्र के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 में परिभाषित भवन और निर्माण परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।	लागू नहीं
2.	वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से सहमति	लागू नहीं लिथियम में कोई वायु उत्सर्जन या जल उत्सर्जन प्रवाह नहीं हैं जो एसपीसीबी से सहमति की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।	लागू नहीं

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

3.	दुकान और स्थापना लाइसेंस ⁵ कर्नाटक दुकान और स्थापना अधिनियम, 1963 के तहत हैं।	लागू	हासिल और वैध
4.	अनुबंध श्रम विनियमन अधिनियम, 1971 के तहत प्रधान नियोक्ता लाइसेंस और अनुबंध श्रम लाइसेंस	लागू नहीं लीथियम ने ठेका श्रम नियमन के तहत अपेक्षित बीस या अधिक से अधिक किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा है।	लागू नहीं
5.	पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस	लागू ईवी चार्जिंग संयंत्रों के लिए लागू	हासिल और वैध
6.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) संशोधन विनियम 2019 जो चार्जिंग हब के लिए विद्युत और अग्नि सुरक्षा नियमों को परिभाषित करता है	लागू <i>शुचि अनंत वीर्या प्राइवेट लिमिटेड के सभी चार्जिंग हब के लिए लागू।</i>	चार्जिंग संयंत्रों ने सीईए विनियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया था और इसलिए अधिग्रहण के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में संयंत्र का अग्नि और विद्युत सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य था।
7.	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण	लागू नहीं लिथियम खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 में परिभाषित किसी भी खतरनाक अपशिष्ट प्रवाह को उत्पन्न नहीं करता है	लागू नहीं
8.	ई-अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-अपशिष्ट) के थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारी	लागू नहीं लिथियम ई-अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2016 में परिभाषित थोक उपभोक्ता आवश्यकताओं के बराबर ई- कचरा उत्पन्न नहीं करता है।	लागू नहीं

अंतरराष्ट्रीय मानक

आईएफसी प्रदर्शन मानकों और आईएफसी/विश्व बैंक सामान्य ईएचएस दिशानिर्देशों के संबंध में समीक्षा तालिका 3 में संक्षेपित की गई है। एवरसोर्स कैपिटल ईएसजीएमएस आईएफसी प्रदर्शन मानकों और ईएचएस दिशानिर्देशों के साथ संरेखित है और इसलिए एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजीएमएस के संबंध में की गई समीक्षा को तालिका 3 में शामिल किया गया है।

⁵ ध्यान दें, दुकानें और स्थापना लाइसेंस केवल बेंगलुरु, कर्नाटक में लिथियम प्रधान कार्यालय के लिए लागू है। लिथियम के संचालन के तहत अन्य सभी सुविधाएं पट्टे पर दी गई सुविधाएं हैं और इसलिए कर्नाटक दुकानें और स्थापना अधिनियम, 1963 के तहत दुकानें और स्थापना लाइसेंस लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नहीं होगा।

तालिका 3: आईएफसी (आईएफसी) प्रदर्शन मानक, आईएफसी/इब्ल्यूबी सामान्य ईएचएस दिशानिर्देश और एवरसोर्स कैपिटल ईएसजीएमएस

क्रम संख्या	आईएफसी प्रदर्शन मानक	जरूरतों का सारांश	लिथियम के लिए लागू
1.	1. आईएफसी पीएस पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन:	प्रदर्शन मानक एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के विकास और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है ताकि कंपनियों को अपने मुख्य संचालन में योजनाओं और मानकों को एकीकृत करने में मदद मिल सके जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और कारोबारी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अनुमान लगा सके। एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली को व्यवसाय संचालन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों से बचने, न्यूनतम करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो एक व्यावसायिक जीवन चक्र में प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श प्रदान करता है।	मान्य ईएसएमएस लिथियम के संचालन के लिए जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
2.	आईएफसी पीएस 2: श्रम और काम करने की स्थिति	प्रदर्शन मानक श्रम और श्रमिकों के अधिकारों के प्रबंधन में कंपनी के उपकरणों को परिभाषित करता है। प्रदर्शन मानक में निम्नलिखित विषय शामिल हैं - मानव संसाधन नीतियां, कार्यकर्ता संगठन, गैर-भेदभाव, छंटनी और कार्यबल की सुरक्षा। प्रदर्शन मानक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा घटकों की भी पहचान करता है।	मान्य लिथियम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) सम्मेलन में परिभाषित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय श्रम कानूनों और कर्मचारियों और ड्राइवरो के लिए राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी।
3.	आईएफसी पीएस 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम	प्रदर्शन मानक संसाधनों और सामग्रियों के सतत उपयोग और व्यवसाय संचालन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण प्रवाह को कम करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।	मान्य लिथियम को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) प्रबंधन, वाहनों के बेड़े के संचालन से अपशिष्ट प्रबंधन और कॉर्पोरेट कार्यालय में संसाधन दक्षता के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।
4.	आईएफसी पीएस 4: सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	प्रदर्शन मानक में नियमित और गैर-नियमित व्यावसायिक कार्यों से प्रभावित समुदायों पर प्रतिकूल स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों से बचने के	लागू लिथियम को आईएफसी

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

		लिए प्रणालियों के विकास की आवश्यकता होती है। मानक सुरक्षा गार्ड और समुदायों के बीच बातचीत में कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करता है।	पीएस 4 में परिभाषित यातायात प्रबंधन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होगी।
5.	आईएफसी पीएस 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास	प्रदर्शन मानक भूमि अधिग्रहण और भूमि पहुंच पर प्रतिबंधों से सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुमान लगाता है और उसे टालता है। मानक शारीरिक और आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए सगाई और मुआवजे की प्रक्रिया को भी परिभाषित करता है।	लागू नहीं लिथियम की सभी सुविधाएं लीज पर हैं और इसलिए पूरे व्यवसाय में कोई भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास नहीं किया गया है।
6.	आईएफसी पीएस 6: जैवविविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन:	प्रदर्शन मानक भूमि अधिग्रहण और भूमि पहुंच पर प्रतिबंधों से सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुमान लगाता है और उसे टालता है। मानक शारीरिक और आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए जुड़ाव और मुआवजे की प्रक्रिया को भी परिभाषित करता है।	लागू नहीं लिथियम शहर की सीमाओं के भीतर संचालित होता है और इसलिए दिन-प्रतिदिन के कार्यों के तहत महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों या प्राकृतिक संसाधनों के साथ सीमित बातचीत की जाती है।
7.	आईएफसी पीएस 7: मूल निवासी	मानक स्वदेशी समुदायों पर प्रभावों के प्रबंधन और भूमि, आजीविका और सांस्कृतिक संसाधनों सहित उनके सामूहिक जुड़ाव पर लागू होता है।	लागू नहीं लिथियम शहर की सीमाओं के भीतर काम करता है और इसलिए स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ सीमित संपर्क है।
8.	आईएफसी पीएस 8: सांस्कृतिक विरासत	मानक मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण को परिभाषित करता है जो कंपनी के व्यवसाय संचालन से प्रभावित हो सकते हैं।	लागू नहीं लिथियम शहर की सीमाओं के भीतर काम करता है और इसलिए इसका सांस्कृतिक विरासत स्थलों के साथ सीमित संपर्क है।
9.	आईएफसी/डब्ल्यूबीजी जनरल ईएचएस दिशानिर्देश	दिशानिर्देश पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) मानकों को प्रदान करते हैं जिन्हें प्रदूषण की रोकथाम, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर लागू किया जा सकता है। दिशानिर्देश प्रदूषण प्रवाह के प्रबंधन और कंपनी	लागू लिथियम को शोर की गुणवत्ता और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में

		के संचालन से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण का भी वर्णन करता है।	आईएफसी/डब्ल्यूबीजी सामान्य ईएचएस दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त के संबंध में अंतराल मूल्यांकन आईएफसी पीएस 2 मूल्यांकन के अंतर्गत आता है।
10.	एवरसोर्स कैपिटल ईएसजीएमएस	एवरसोर्स कैपिटल और ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के लिए व्यापक ईएसजी प्रबंधन दस्तावेज है। ईएसजीएमएस को फंड के प्रत्येक निवेशक के व्यक्तिगत मानकों के आधार पर विकसित किया गया है। ईएसजीएमएस को आईएफसी प्रदर्शन मानकों और लागू आईएफसी/डब्ल्यूबीजी सामान्य ईएचएस दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है।	लागू एवरसोर्स कैपिटल ईएसजीएमएस आईएफसी प्रदर्शन मानकों के साथ संरेखित है और आईएफसी प्रदर्शन मानकों के संबंध में लिथियम की समीक्षा इस प्रकटीकरण दस्तावेज में प्रदान की गई है। इसलिए एवरसोर्स कैपिटल ईएसजीएमएस के संबंध में समीक्षा को आईएफसी प्रदर्शन मानकों की समीक्षा में शामिल किया गया है।

तालिका 4 में वर्णित लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के संबंध में लिथियम का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।

तालिका 4: अंतरराष्ट्रीय मानकों के संबंध में समीक्षा

आईएफसी पीएस 1: पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन		
<p>पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस)</p> <p>के लिए कंपनियों को ई एंड एस पहलुओं से संबंधित योजनाओं और मानकों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। एक ईएसएमएस में आमतौर पर एक कंपनी की ई एंड एस</p>	<ul style="list-style-type: none"> • लिथियम के पास औपचारिक दस्तावेज ईएसएमएस नहीं हैं। • लिथियम ने एक ईएचएस नीति, साइट-स्क्रीनिंग और चयन फॉर्म और वार्षिक अनुपालन ट्रैकर विकसित किया है। • लिथियम में ड्राइवर एंगेजमेंट टीम है जिसमें ड्राइवर शामिल होते हैं जिन्हें ड्राइवर वर्कफोर्स के मुद्दों, चिंताओं और शिकायतों पर चर्चा करने के लिए इन-हाउस पदोन्नत किया गया है। ड्राइवर एंगेजमेंट टीम आमतौर पर प्रत्येक ऑपरेशनल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा करती है और ड्राइवर रेस्ट पाक्षिक आधार पर रुकता है और गुमनामी बनाए रखते हुए कॉरपोरेट ऑपरेशन टीम को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करता है। ड्राइवर एंगेजमेंट टीम भी ड्राइवरों से किसी भी शिकायत को लेती है और कॉरपोरेट स्तर पर संचालन के लिए प्रक्रिया 	<p>मध्यम जोखिम लिथियम को खामियों के रूप में पहचाने गए सभी घटकों सहित एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजीएमएस के साथ एक ईएसजीएमएस विकसित करना चाहिए।</p> <p>लिथियम को</p>

<p>प्रतिबद्धताएं, जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया, कानूनी अनुपालन प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं, हितधारक जुड़ाव योजना, शिकायत प्रबंधन और पर्यवेक्षी संरचनाएं शामिल होती हैं ताकि व्यापार संचालन में ई एंड एस पहलुओं की समीक्षा की जा सके।</p>	<p>सुधार चर्चा में निष्कर्षों को शामिल करती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिकायत तंत्र के लिए लिथियम के दो तरीके हैं - (i) मौजूदा ग्राहक इन-हाउस टेक पोर्टल के माध्यम से लिथियम को शिकायत कर सकते हैं और (ii) लिथियम संचालन के खिलाफ सामान्य शिकायतों को समर्पित ईमेल के माध्यम से उठाया जा सकता है - sales@project-lithium.com • लिथियम ने दो परिचालन चार्जिंग सुविधाओं से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए अगस्त 2021 में एक अग्नि और विद्युत सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। • ईएसएमएस के निम्नलिखित घटकों की पहचान नहीं की गई थी - शुचि अनंत वीर्या प्राइवेट लिमिटेड के लिए ईएचएस नीति और नई साइटों के लिए जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना, समर्पित ईएचएस संसाधन, हितधारक जुड़ाव योजना, शिकायत निवारण तंत्र, औपचारिक आंतरिक निगरानी प्रक्रिया और निरंतर सुधार प्रक्रिया। 	<p>ईएसजीएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करने और समय-समय पर इसकी प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए एक पर्यावरणीय सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रबंधक को नियुक्त या नामित करना चाहिए।</p>
<p>आईएफसी पीएस 2: श्रम और काम करने की स्थिति</p>		
<p>मानव संसाधन नीतियां मानव अधिकारों के प्रबंधन और श्रम अनुपालन के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • लिथियम की एक समर्पित मानव संसाधन नीति है जो औपचारिक छंटनी नीति के अपवाद के साथ आईएफसी पीएस 2 की आवश्यकताओं को कवर करती है। नीति हालांकि, कर्मचारियों तक ही सीमित है। • लिथियम कर्मचारियों को मातृत्व लाभ संसोधन अधिनियम, 2017 और सामाजिक सुरक्षा के मुताबिक नियुक्ति पत्र, काम केघंटों का पालन और छुट्टियां दी जाती हैं। • चूंकि ड्राइवर मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के अंतर्गत आते हैं, एचआर नीतियां ड्राइवरों पर लागू नहीं होती हैं। हालांकि, ड्राइवर भी एमएसए में परिभाषित छुट्टी, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। ड्राइवरों का वेतन एमएसए में तय किया गया है और संचालन के राज्यों की न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। 	<p>मध्यम जोखिम लिथियम को छंटनी योजना के विकास सहित मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं को अपडेट करना चाहिए।</p>
<p>कार्य स्थितियों में सामूहिक सौदेबाजी, समान अवसर रोजगार, गैर-भेदभाव और आंतरिक शिकायत प्रबंधन शामिल हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • कर्मचारियों, संविदा हाउसकीपिंग स्टाफ और ड्राइवरों के साथ परामर्श आईएफसी पीएस 2 की आवश्यकताओं के साथ संरेखण का संकेत देता है जिसमें काम के घंटे, समय पर वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ शामिल हैं। • लिथियम कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करने वाले अपने कर्मचारियों में से एक को सेवा ठेकेदार द्वारा भुगतान न करने के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का एकल गैर-अनुपालन की पहचान की गई थी। 	<p>उच्च जोखिम लिथियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जनशक्ति के लिए वैधानिक वेतन आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन न करने के</p>

		चिन्हित मामले में एरियर दिया जाए।
<p>व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), नौकरी सुरक्षा प्रशिक्षण और संचालन में सुरक्षा जोखिम प्रबंधन सहित नौकरी से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के प्रबंधन को परिभाषित करती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> बेंगलुरु कार्यालय में एक एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चालक और बेड़े प्रबंधन कार्यक्रम चल रहे थे जो ड्राइविंग गति, तेज गति से ड्राइविंग और दुर्घटना / घटनाओं सहित सड़क सुरक्षा मानकों को ट्रैक करता है। ड्राइवरों के लिए कोई पूर्व-रोजगार चिकित्सा जांच नहीं की जाती है, लेकिन लिथियम टीम द्वारा समय-समय पर चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अपनी स्वयं की पूर्व-रोजगार चिकित्सा जांच प्रक्रिया के माध्यम से सीईटी व्यवसाय के तहत ड्राइवरों को शामिल करते हैं। लिथियम ने एक कोविड-19 तैयारी योजना विकसित की है जिसमें कर्मचारी सुरक्षा, स्वच्छता, उपयोगकर्ता सुरक्षा और टीकाकरण शामिल है। चार्जिंग सुविधाओं के लिए एक विद्युत सुरक्षा चेकलिस्ट विकसित की गई है, लेकिन चेकलिस्ट सीईए विनियमन संशोधन दिशानिर्देश 2019 के अनुरूप नहीं थी। 	<p>मध्यम जोखिम</p> <p>लिथियम को एक कानूनी रजिस्टर विकसित करना चाहिए जो सीईए संशोधन विनियम 2019 को ध्यान में रखता है।</p> <p>लिथियम को ईवी ड्राइवरों के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम विकसित करना चाहिए।</p>
<p>आईएफसी पीएस 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण:</p>		
<p>संसाधन दक्षता प्राकृतिक संसाधनों (मुख्य रूप से ऊर्जा और पानी) के प्रबंधन का वर्णन करती है और संसाधनों को कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए प्रक्रियाओं के विकास की आवश्यकता होती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> चार्जिंग सुविधाओं और कार्यालय इकाइयों के लिए पीने और घरेलू पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति तीसरे पक्ष के स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से की जा रही है लेकिन लिथियम टीम को पानी के स्रोत के बारे में पता नहीं है। एनसीआर चार्जिंग सुविधा में घरेलू पानी की आवश्यकता भवन स्वामी के स्वामित्व में भूजल के माध्यम से पूरी की जा रही है। भूजल निकासी की अनुमति की स्थिति की जानकारी नहीं है। लिथियम वाहनों को वर्तमान में उन सुविधाओं पर चार्ज किया जा रहा है जो ग्रिड से बिजली खरीद रही हैं। सतत ऊर्जा स्रोतों को पूरे पोर्टफोलियो में लागू नहीं किया गया है। एनसीआर में शुचि अनंत वीर्या चार्जिंग हब के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए 320 केवीए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा रहा है। सभी लिथियम सुविधाएं नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हैं और इसलिए अपशिष्ट जल को नगरपालिका जल निकासी चैनलों में भेजा जाता है। 	<p>मध्यम जोखिम</p> <p>लिथियम को अपने ईएचएस कानूनी रजिस्टर में भूजल अमूर्त आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए (आईएफसी पीएस 1 - ईएसजीएमएस और आईएफसी पीएस 2 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में अनुशंसित)</p>

<p>जीएचजी उत्सर्जन व्यवसाय संचालन से जीएचजी उत्सर्जन के मूल्यांकन की प्रक्रिया और उत्पन्न उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> अपने स्वभाव के मुताबिक लिथियम ग्राहकों को ईवी बुनियादी ढांचा प्रदान करके मानक वाहनों का विकल्प प्रदान कर रहा है। 	<p>कोई नहीं</p>
<p>अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यवसाय संचालन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन धाराओं के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया की पहचान करता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> लिथियम अपने वाहनों को 3 साल की अवधि के लिए पट्टे पर देता है और इसलिए वाहनों के रखरखाव और निपटान से जुड़ा कोई कचरा उत्पन्न नहीं करता है। बेड़े में तीन वाहन अनुसंधान और परीक्षण उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन वाहनों के किसी भी घटक का आज तक निपटान नहीं किया गया है। लिथियम के पास किसी भी जीवन के अंत या क्षतिग्रस्त कार बैटरी के संबंध में बायबैक समझौता नहीं है। संयंत्रों पर उत्पन्न होने वाला नगरपालिका ठोस कचरा शहर की सीमा के भीतर आता है और इसलिए नगर पालिका द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं द्वारा परिवहन और निपटान किया जाता है। 	<p>मध्यम जोखिम</p> <p>लिथियम को एक जीवन-पर्यंत वाहन बैटरी प्रबंधन नीति विकसित करनी चाहिए।</p> <p>लिथियम को बैटरी निपटान के लिए सभी विक्रेताओं के साथ बायबैक क्लॉज स्थापित करना चाहिए।</p>
<p>आईएफसी पीएस 4: सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा</p>		
<p>आपातकालीन तैयारी और यातायात प्रबंधन एक कंपनी द्वारा उसके परिचालन से आस-पास के समाज पर पड़ सकने वाले किसी भी सुरक्षा संबंधी जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए विकसित प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> लिथियम अपनी पार्किंग और चार्जिंग सुविधाओं के भीतर ही कार की आवाजाही को नियंत्रित रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक क्षेत्रों में कोई ओवरफ्लो (अतिप्रवाह) न हो लिथियम के पास ऐसी कोई आपातकालीन तैयारी योजना नहीं है जिसमें अग्नि सुरक्षा के चिन्हित परिदृश्यों का विस्तार आस-पास के व्यवसायों, समुदायों या वाणिज्यिक संपत्तियों तक फैला हो। 	<p>मध्यम जोखिम</p> <p>अग्नि सुरक्षा के संबंध में लिथियम को अपने चार्जिंग सुविधा परिचालन के आस-पास के भवनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विचारों को शामिल करना चाहिए। (इस तालिका की पंक्ति 1)</p>
<p>सुरक्षा कार्मिक सुरक्षा कर्मियों के</p>	<ul style="list-style-type: none"> लिथियम किसी भी सुरक्षा कर्मियों की सीधी नियुक्ति नहीं करता है और चार्जिंग सुविधाओं में सारी सुरक्षा व्यवस्था 	<p>कोई भी नहीं</p>

<p>प्रशिक्षण और प्रबंधन की पहचान करते हैं, जिसमें सामुदायिक जोखिमों का प्रबंधन करते समय शिकायत से निपटने और बल का उपयोग शामिल है।</p>	<p>का प्रबंध भवन मालिकों द्वारा किया जाता है।</p>	
---	---	--

परियोजना वर्गीकरण

ईएसडीडी को तालिका 5 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार ईएससीपीएल ईएसजीएमएस के संबंध में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 5: परियोजना वर्गीकरण

वर्गीकरण	परिभाषा
श्रेणी ए	ऐसी परियोजनाएं जिनमें अच्छी-खासी प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना है जो विविधतापूर्ण, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं;
श्रेणी बी	ऐसी परियोजनाएं जिसमें सीमित प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना है जो बहुत कम संख्या में, सुविधा-विशिष्ट, मोटे तौर पर रिवर्सिबल (प्रतिवर्ती) और शमन के उपायों से आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं;
श्रेणी सी	ऐसी परियोजनाएं जिनका न्यूनतम या कोई प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव हो।

किए गए ईएसडीडी के आधार पर, अधिग्रहण की पहचान **श्रेणी बी** की एक परियोजना के रूप में की गई है, जिसमें सीमित संख्या में साइट विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव दिए गए हैं, जिन्हें उचित शमन उपायों को अपनाने और उद्योग के अच्छे अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करके आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इस परियोजना से जुड़े प्रमुख पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों तथा मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बेड़ा विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक है इसलिए परिचालन से सीमित वायु उत्सर्जन होता है।
- परियोजना गतिविधियों और परिचालन से प्रभाव काफी हद तक साइट की सीमा के भीतर रहता है।
- ईवी वाहनों के ओएंडएम से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और सहायक चार्जर और पुरानी बैटरियों को बड़े पैमाने पर विक्रेताओं की जिम्मेदारी के तहत कवर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप चार्जिंग सुविधाओं पर इस तरह के कचरे का कोई थोक भंडारण नहीं होता है।
- कोई ऐसी प्रक्रिया परिचालन या अपशिष्ट/उत्सर्जन/प्रवाह तैयार नहीं होता है जो महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

- चार्जिंग सुविधाएं उच्च जैविक विविधता वाले क्षेत्रों जैसे आर्द्रभूमि, मैनग्रोव (नदी किनारे होने वाले पेड़ जिसकी कुछ जड़ें जमीन पर भी रहती हैं) या संरक्षित क्षेत्रों जैसे आरक्षित वन आदि में स्थित नहीं हैं।
- चार्जिंग सुविधाओं या हब की स्थापना से संबंधित कोई पुनर्वास या पुनर्वास मुद्दे नहीं हैं।
- लिथियम की प्रबंधन प्रणाली, कानूनी रजिस्टर, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में प्रासंगिक अंतराल देखे गए और इसे शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किया जा सकता है।
- नियामक आवश्यकता के अनुसार ईवी चार्जिंग सुविधाओं में आग और विद्युत सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के प्रबंधन में देखी गई कमियों को प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना

ईएसडीडी के परिणाम के रूप में पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) तालिका 6 में प्रदान की गई है।

तालिका 6: पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
1.	<p>लिथियम को एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) विकसित करनी चाहिए जो एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजीएमएस के साथ तालमेल में हो। लिथियम के ईएसजीएमएस में निम्नलिखित घटक शामिल होने चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> • लिथियम की मौजूदा ईएचएस नीति। • किसी भी ईवी चार्जर इंस्टॉलेशन पर एक हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट (एचआइआरए) चेकलिस्ट लागू होना चाहिए जो लिथियम और <i>शुचि अनंत वीर्य</i> के पूरे परिचालन में लागू हो। • ईवी चार्जिंग स्टेशन और चार्जर लोकेशन सर्वेक्षण फॉर्म को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि ईएचएस परमिट और चार्जिंग के लिए स्थान की उपलब्धता को शामिल किया जा सके। • कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय के भीतर एक ईएचएस/ईएसजी हेड प्रोफाइल का पदनाम। • <i>शुचि अनंत वीर्य</i> द्वारा संचालित 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 का आकलन	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की प्रति	मध्यम	अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
	<p>चार्जिंग सुविधाओं के लिए सभी संभावित आपातकालीन परिदृश्यों को शामिल करते हुए एक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (ईपीआरपी) का विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>लिथियम और/या शुचि अनंत वीर्य</i> द्वारा संचालित ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए परमिट/अनुमोदन शर्तों सहित एक ईएचएस कानूनी रजिस्टर को अद्यतन करना और मेनटेन (बनाए रखना) करना। • एक औपचारिक हितधारक एंगेजमेंट योजना (एसईपी) तैयार करें जो लिथियम और/या <i>शुचि अनंत वीर्य</i> द्वारा संचालित प्रत्येक चार्जिंग सुविधा को कवर करती है। • आईएफसी पीएस 1 में आवश्यकतानुसार शिकायत दस्तावेज और वृद्धि के साथ लिथियम के मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया। 				
2.	<ul style="list-style-type: none"> • सुनिश्चित करें कि लिथियम ईएचएस नीति का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा - दोनों रूपों को चालकों (ड्राइवर्स) के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) में अनुबंध के रूप में एकीकृत किया गया है। 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 का आकलन	ईवी चार्जिंग सुविधाओं पर एमएसए और प्रदर्शन के फोटोग्राफिक साक्ष्य की प्रति	मध्यम	अधिग्रहण के 3 महीने के भीतर नीति का विकास

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
	<ul style="list-style-type: none"> उपरोक्त नीति को ईवी चार्जिंग सुविधाओं (क्लाइंट और लिथियम संचालित दोनों) पर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शन के माध्यम से भी संप्रेषित किया जाना है। ईवी चार्जिंग संरचना के विकास में शामिल <i>शुचि अनंत वीर्य</i> के लिए एक ईएंडएस नीति बनाएं और सूचित करें। 		ईएंडएस नीति की प्रति		करने के 1 महीने के भीतर
3.	<ul style="list-style-type: none"> ईपीआरपी की प्रभावशीलता का आकलन करने और उसका रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए छह मासिक मॉक ड्रिल आयोजित करें। क्लाइंट और लिथियम संचालित दोनों साइटों पर ईवी चार्जिंग सुविधाओं पर आपातकालीन उत्तरदाताओं की सूची का संचार / प्रदर्शन करें। चार्जिंग हब में अग्नि जोखिम बिंदुओं की पहचान करना और आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करना। उपयुक्त ईएचएस परमिट, चार्जिंग स्पेस व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, मौजूदा ईपीआरपी इत्यादि की उपलब्धता को शामिल करके ईवी चार्जिंग स्टेशन और चार्जर स्थान सर्वेक्षण फॉर्म अपडेट करें। 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस 2 का आकलन	<ul style="list-style-type: none"> आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना मॉक ड्रिल के रिकॉर्ड नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित आपातकालीन प्रतिक्रिया फोन नंबरों के फोटोग्राफिक साक्ष्य अपडेट किया गया ईवी चार्जर लोकेशन सर्वे फॉर्म 	मध्यम	ईपीआरपी - अधिग्रहण से पहले अन्य कार्रवाइयां - अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर
4.	<ul style="list-style-type: none"> सीईए विनियमों के अनुसार लिथियम द्वारा संचालित ईवी चार्जिंग सुविधाओं पर आग की रोकथाम और नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित और बनाए रखें। भारतीय मानकों के अनुसार आग का पता लगाने और 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस	आग की रोकथाम और नियंत्रण उपकरण की	उच्च	अग्नि नियंत्रण उपकरण की स्थापना

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
	<p>अलार्म सिस्टम का प्रावधान, अग्निशामकों की जांच और रिफिलिंग विवरण आदि।</p> <ul style="list-style-type: none"> लिथियम द्वारा संचालित ईवी चार्जिंग सुविधाओं में आग की रोकथाम और नियंत्रण व्यवस्था की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए समय-समय पर समीक्षा/लेखा परीक्षा करना। 	<p>1 और आईएफसी पीएस 2 का आकलन</p> <p>तालिका 2 में यथा अपेक्षित सीईए संशोधन विनियमों का अनुपालन</p>	<p>स्थापना के लिए फोटोग्राफिक साक्ष्य / पीओ</p> <p>फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी</p>		<p>के लिए पीओ - अधिग्रहण से पहले</p> <p>अग्नि सुरक्षा ऑडिट - अधिग्रहण के 3 महीने के भीतर</p>
5.	<p>लिथियम द्वारा संचालित चार्जिंग स्टेशन की विद्युत सुरक्षा के मानक सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम या नियमित आवधिक मूल्यांकन की स्थापना और कार्यान्वयन।</p> <p>चार्जिंग सुविधाओं का आवधिक परीक्षण और निरीक्षण करना - सक्रिय होने के बाद पहले तीन वर्षों के लिए हर साल और उसके बाद हर चार साल में।</p>	<p>तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस 2 का आकलन</p> <p>तालिका 2 में यथा अपेक्षित सीईए संशोधन विनियमों का अनुपालन</p>	<p>सुरक्षा आकलन कार्यक्रम</p> <p>आवधिक परीक्षण और निरीक्षण के रिकॉर्ड</p>	उच्च	<p>सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम - अधिग्रहण से पहले</p> <p>आवधिक परीक्षण - अधिग्रहण के पहले वर्ष के भीतर किए जाने के लिए</p>

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
6.	<ul style="list-style-type: none"> शिकायत निवारण व्यवस्था पर चालकों के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित करना। सुविधा मालिकों को जीआरएम का संचार। सभी ईवी चार्जिंग सुविधाओं पर शिकायत पेटी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। ड्राइवर शिकायत निवारण ऐप के कार्यान्वयन को फास्ट ट्रैक करें। 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस 2 का आकलन	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण अभिलेख जीआरएम संचार के फोटोग्राफिक साक्ष्य शिकायत निवारण ऐप 	मध्यम	अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर
7.	वैधानिक वेतन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें जिसमें जनशक्ति आपूर्ति एजेंसी के माध्यम से लगे हाउसकीपिंग स्टाफ के देय बकाया का भुगतान शामिल है।	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 2 का आकलन	वेतन पर्ची/रिकॉर्ड की प्रति	उच्च	अधिग्रहण से पहले
8.	मजदूरों/कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के मामले में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए छंटनी योजना को शामिल करने के लिए मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं को अपडेट करें।	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 2 का आकलन	छंटनी नीति/योजना	मध्यम	अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर
9.	<ul style="list-style-type: none"> एक दुर्घटना रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया विकसित करें। ईवी ड्राइवरों के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करें। चालक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए पूर्व-रोजगार और आवधिक चिकित्सा निगरानी दोनों का संचालन करें। 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस	<ul style="list-style-type: none"> दुर्घटना/घटना रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया की प्रति। चालक ओएचएस 	मध्यम	अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
	उपरोक्त नीतियों को ईएसएमएस (इस तालिका की पंक्ति 1) में एकीकृत किया जाना चाहिए।	2 का आकलन	कार्यक्रम की प्रति। • पूर्व-रोजगार और आवधिक चिकित्सा परीक्षा रिकॉर्ड की प्रति		
10.	<ul style="list-style-type: none"> लिथियम द्वारा संचालित सभी ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अर्थ निरंतरता निगरानी का प्रावधान सुनिश्चित करें। ग्राहक और लिथियम संचालित दोनों साइटों पर चार्ज किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए व्हील चॉक्स का प्रावधान करें। 	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस 2 का आकलन	फोटोग्राफिक साक्ष्य	मध्यम	अधिग्रहण से पहले
11.	<ul style="list-style-type: none"> बैटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और ईवी चार्जिंग घटकों के जीवन के अंत वाले वाहनों के निपटान के लिए एक समर्पित नीति विकसित करें। बैटरी बाय बैक या निपटान योजना में निरंतरता बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी विक्रेताओं के साथ बाय बैक व्यवस्था क्लॉज है। <p>बैटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और ईवी चार्जिंग घटकों को रखने वाले एंड-ऑफ-</p>	तालिका 3 में आईएफसी पीएस 1 और आईएफसी पीएस 3 का आकलन	<ul style="list-style-type: none"> एंड-ऑफ-लाइफ वाहन और ईवी चार्जिंग उपकरण निपटान पर नीति की प्रति विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित पट्टा समझौते की प्रति 	मध्यम	अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF)

क्रम संख्या	उपाय और/या सुधारात्मक कार्रवाइयां	संदर्भ	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	समयसीमा
	लाइफ वाहनों के निपटान पर समर्पित नीति को ईएसएमएस (इस तालिका की पंक्ति 1) में एकीकृत किया जाना चाहिए।				

निष्कर्ष

लिथियम अर्बन टेक्नालॉजीज के आकलन ने अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ किसी भी गंभीर बड़ी गड़बड़ी या घातक खामियों की पहचान नहीं की। अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी के गैर-अनुपालन से संबंधित जोखिमों की पहचान की गई है और अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए एक शर्त के रूप में इसे बंद करने की आवश्यकता है।

अधिग्रहण के बाद लिथियम द्वारा प्रबंधित किए जा रहे ईएचएस पहलुओं के समग्र प्रबंधन प्रणालियों और प्रलेखन में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए व्यापक दस्तावेज की पहचान पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रबंधन प्रणाली (ईएसजीएमएस) मैनुअल के रूप में की गई है जो एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजीएमएस के अनुरूप होगी। ईएसजीएमएस में परिभाषित प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा और लिथियम साइटों पर लागू किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

- सभी लिथियम और लिथियम सहायक साइट पर ईएचएस नीति का प्रदर्शन
- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया का कार्यान्वयन जैसे पहले उत्तरदाताओं की संख्या और समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना
- इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सीईए संशोधन विनियम 2019 सहित आवधिक वैधानिक अनुपालन समीक्षा
- शिकायत करने के लिए प्रशिक्षण और तंत्र का प्रावधान
- एंड-ऑफ-लाइफ बैटरी निपटान और व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित विशिष्ट प्रक्रियाएं
- छंटनी सहित आईएफसी पीएस 2 के संबंध में कमियों को दूर करने के लिए मानव संसाधन नीतियों को अपडेट करें

एवरसोर्स कैपिटल की आंतरिक जोखिम समिति की बैठक में चर्चा के अनुसार उपरोक्त जोखिमों को लिथियम के दिन-प्रतिदिन के संचालन के तहत प्रबंधनीय माना गया है। लिथियम के अधिग्रहण के लाभों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कर्मचारी परिवहन प्रदाता और ग्राहकों के बड़े परिवहन बेड़े को स्थायी विकल्पों में परिवर्तित करने के लिए संभावित कार्बन ऑफसेट तंत्र के साथ काम करना शामिल है।